

मालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

पत्र संख्या :- 191 / 2020

दायर दिनांक: 13.12.2021

CMS NO:- 2021/360

मोवासीन अधिकारी:- शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. धापूवाई आयु 52 वर्ष पत्नी श्री फोरूलाल जाति भीणा निवासी लुहारपुरा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राजस्थान मोवाईल नं0 7877840898

बनाम

-प्रार्थी-

1. नन्दकंवर आयु 58 वर्ष पत्नी श्री कालूलाल जाति भीणा निवासी लुहारपुरा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राजस्थान
2. नूरा बाई आयु 58 वर्ष पत्नी श्री मिश्रीलाल जाति भीणा निवासी लुहारपुरा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राजस्थान
3. हजारीबाई आयु 56 वर्ष पत्नी गोपाल जाति भीणा निवासी लुहारपुरा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राजस्थान
4. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहय, नैनवाँ तहसील नैनवाँ जिला बून्दी

-अप्रार्थीगण-

प्रार्थना पत्र:- वास्ते रास्ता चाहने वावत
अंतर्गत धारा 251(क) आर0टी0 एक्ट

उपस्थिति:-

प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी।

निर्णय दिनांक 28.11.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम लुहारपुरा पटवार मण्डल मोतीपुरा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 23 पुराना 24 के अनुसार खसरा संख्या 309 रकबा 0.0971 हेक्टेयर, खसरा संख्या 310 रकबा 0.1214 हेक्टेयर, खसरा संख्या 311 रकबा 0.0728 हेक्टेयर, खसरा संख्या 312 रकबा 0.0890 हेक्टेयर, खसरा संख्या 313 रकबा 0.1294 हेक्टेयर, खसरा संख्या 314 रकबा 0.1375 हेक्टेयर, खसरा संख्या 315 रकबा 0.1618 हेक्टेयर, खसरा संख्या 316 रकबा 0.0971 हेक्टेयर, खसरा संख्या 317 रकबा 0.0971 हेक्टेयर कुल कित्ता 9 कुल रकबा 1.0032 हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह कि ग्राम लुहारपुरा पटवार मण्डल मोतीपुरा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 26 पुराना 27 के अनुसार खसरा संख्या 302 रकबा 0.0162 हेक्टेयर, खसरा संख्या 303 रकबा 0.2589 हेक्टेयर खसरा संख्या 304 रकबा 0.1052 हेक्टेयर, खसरा संख्या 305 रकबा 0.2265 कुल कित्ता 4 रकबा 0.6068 हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रार्थिया के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे कास्त की भूमि है तथा वर्तमान समय बुवाई का है तथा उक्त भूमि पर जाने का एक मात्र रास्ता पौराणिक बावड़ी पर आने वाले सार्वजनिक रास्ते के बाद प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित खसरा संख्या, 302, 303, 304, 305 होता हुआ प्रार्थिया के खातेदारी अधिकारी की भूमि में पहुंचता है उक्त रास्ता ही प्रार्थिया की भूमि पर जाने का रास्ता है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थिया पुश्तैनी रूप में करती चली आ रही है जिसको अप्रार्थीगण ताकत के बल पर बन्द करना चाहते हैं। अगर अप्रार्थीगण के प्रार्थिया के खेत पर जाने के उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थिया की भूमि पड़त रहने की पूरी संभावना पैदा हो गई है जिससे प्रार्थिया को भारी आर्थिक नुकसार की संभावना बन गई है। प्रार्थिया के खाते की भूमि पर पहुंचने के उक्त रास्ते को नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से क ख मार्क के रूप में दर्शाया है, जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। यह है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया के नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाये गये "क ख" मार्क रास्ते को जबरन ताकत के बल पर बन्द कर दिया जिसका उल्हाना प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण को दिया तो अप्रार्थीगण लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गए और कहने लगे कि यहां तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है हम तुम्हें उक्त रास्ते से नहीं निकलने देंगे। मौके पर रास्ता बना हुआ है। यही प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में होकर निकले हुये 20 फीट चौड़ा रास्ता उत्तर से दक्षिण सम्पूर्ण लम्बाई को जिस नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से क ख मार्क से दर्शाया गया है को रास्ता घोषित अधिकार प्राप्त नहीं है साथ ही प्रार्थिया की उक्त भूमि पर जाने का उक्त रास्ते के अलावा अन्य रास्ता मौजूद नहीं है। यह कि प्रार्थिया को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में होकर निकले हुये 20 फीट चौड़ा रास्ता उत्तर से दक्षिण सम्पूर्ण लम्बाई को जिस नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से क ख मार्क से दर्शाया गया है को रास्ता घोषित



मालय उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

एवं उक्त रास्ते का अंकन राजस्व नक्शे व राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर प्राथीया को रास्ता दिलवाया जावे साथ ही अप्राथीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे को मिलने वाले रास्ते में किसी प्रकार से अवरुद्ध नहीं करें प्राथीया के आवागमन में किसी की बाधा न तो स्वयं उपस्थित करे ऐसा कार्य किसी अन्य से करावे। यह कि प्राथीया को मिलने वाले उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के खातेदारान को नियमानुसार कीमत अदा करने को तैयार है। प्राथीया पत्र को समर्थन में प्राथीगण ने नकल जमाबंदी एवं नकल नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके मुताबिक प्राथीया द्वारा माहा रास्ता निम्नानुसार दिया जाना उचित होगा जो नजरी नक्शा में प्रस्तावित किया गया। उक्त रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

ख0न0	लम्बाई	चौड़ाई	कुल
303	5	3	15 वर्ग गद्दा
302	6	3	18 वर्ग गद्दा
304	16	3	48 वर्ग गद्दा
305	21	3	63 वर्ग गद्दा

कुल किता 4 कुल रकबा 144 वर्ग गद्दा

हमने प्राथीना-पत्र, शपथ-पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्राथी को प्राथीना-पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्राथी ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्राथीना-पत्र में निवेदन किया है। बहस प्राथीना पत्र सुनी गई। प्राथीना-पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम लुहारपुरा पटवार गण्डल गोतीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 23 पुराना 24 के अनुसार खसरा संख्या 309 रकबा 0.0971 हेक्टेयर, खसरा संख्या 310 रकबा 0.1214 हेक्टेयर, खसरा संख्या 311 रकबा 0.0728 हेक्टेयर, खसरा संख्या 312 रकबा 0.0890 हेक्टेयर, खसरा संख्या 313 रकबा 0.1294 हेक्टेयर, खसरा संख्या 314 रकबा 0.1375 हेक्टेयर, खसरा संख्या 315 रकबा 0.1618 हेक्टेयर, खसरा संख्या 316 रकबा 0.0971 हेक्टेयर, खसरा संख्या 317 रकबा 0.0971 हेक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 1.0032 हेक्टेयर भूमि पर आने जाने हेतु निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

ख0न0	लम्बाई	चौड़ाई	कुल
303	5	3	15 वर्ग गद्दा
302	6	3	18 वर्ग गद्दा
304	16	3	48 वर्ग गद्दा
305	21	3	63 वर्ग गद्दा

कुल किता 4 कुल रकबा 144 वर्ग गद्दा

उक्त रास्ता नक्शा ट्रेस, जिसे परिशिष्ट-"क" नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर प्राथी का रास्ता बहाल करें।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपस्थान अधिकारी
नैनवां (बून्दी)


श्री देव शाप = लुधरपुरा तहसील नैनवाँ जिला - राज.)

2161
1161-62

कृषि क्षेत्र = 200 बीघा
दिनांक 19/12/22

परिशिष्ट - 'क'
दिनांक 19/12/22

तहसीलदार
नैनवाँ



उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र / प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ प्राथमिक / अन्तिम डिक्री / निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत कराये।

वापस कार्य डेप्युटी मजिस्ट्रेट नैनवाँ जिला बन्द (राज.)
पटवार 02/08/22
उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बन्द)



